अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/67/2019-20

17 दिसंबर, 2019

सेवा में,

श्री संजय कुमावत,
समरसता राजभवन,
42, मोती नगर बी कटेवा नगर,
चौराह पो.आ. श्याम नगर, जयपुर।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 29.11.2019 के पत्र जोकि इस सचिवालय में 02.12.2019 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ. 47F 028154 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 18.11.2019 को प्रेषित अपने पत्र के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है।

इस विषय में आपको अवगत कराना है कि आपके नाम से इस सचिवालय में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है परंतु इसी विषय पर श्री कुलदीप प्रसाद शर्मा, एडवोकेट, 42, मोती नगर बी कटेवा नगर, चौराहा पो.आ. श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान का एक पत्र इस सचिवालय में 21.11.2019 को प्राप्त हुआ था तथा जिसे 28.11.2019 को उचित कार्रवाई/ध्यानाकर्षण हेतु श्रीयुत पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, आई.टी.ओ., नई दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया था तथा इसकी सूचना एक प्रति के माध्यम से श्री कुलदीप प्रसाद शर्मा को भी प्रेषित की गई थी (प्रति संलग्न)। चूंकि आपके पत्र की विषयु वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है तथा आपका संदर्भित पत्र भी उचित कार्रवाई/ध्यानाकर्षण हेतु दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित किया गया है। आपको परामर्श है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना के लिए सीधे श्रीयुत केन्द्रीय सूचना अधिकारी, दिल्ली पुलिस नई दिल्ली संपर्क करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPEED POST
19/12/19

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

[illegible]
VICE PRESIDENT'S SECRETARIAT
NEW DELHI - 110011
[illegible] FAX 23018124

फाइल संख्या वीपीएस 28/11/2019 (P)

28 नवम्बर, 2019

श्रीयुत पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस,
आई टी ओ., नई दिल्ली ।

प्रिय महोदय,

श्री कुलदीप प्रसाद शर्मा, एडवोकेट, 42, मोती नगर बी, कटेवा नगर, चौराहा, पो0ओ0-श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान का दिनांक 18.11.2019 का पत्र इस सचिवालय में 21.11.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में उल्लेख किया है। अतः पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ -
श्री कुलदीप प्रसाद शर्मा, एडवोकेट, 42, मोती नगर बी, कटेवा नगर, चौराहा, पो0ओ0-श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान का है।

कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, आई टी ओ., नई दिल्ली के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)